तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 137/2014 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2014/00239)

अनवानः

1. महावीर प्रसाद पुत्र केशराराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मांगीलाल पुत्र केशराराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. मु. गुडी पत्नी केशराराम जाति ज़ाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. हेतराम पुत्र घड़सीराम जाति जाट अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. खेतपाल पुत्र घड़सीराम जाति जाट अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. धन्नाराम पुत्र घड़सीराम जाति जाट अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. गिरधारी पुत्र नानूराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़।
2. ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदान जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं. 18 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. मु. गुड्डी पत्नी हरिकिशन जाति जाट साकिन वार्ड नं. 3 सूरतगढ़ वगैरह।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेंट संख्या 5 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.08.2015 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नही किये है। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर